

संख्या: ई0 एक्स0 एन0-ए(3)-3/2023

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी

प्रेषित

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा
शिमला -4.

दिनांक: शिमला-171002.

16/12/2024.

विषय:- हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सत्र में रखने वारे नोटिस।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है कि मैं हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 37) को विधान सभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

विधेयक की 100 प्रतियां (तीन अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) संलग्न हैं। आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें।

भवदीय,

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)

मुख्य मंत्री

हिमाचल प्रदेश।

संलग्न: यथोपरि।

पृष्ठांकन संख्या: ई0एक्स0एन0-ए0(3)-3/2023 दिनांक- शिमला-02

,2024

- प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-02.
- सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 12.12.2024 के मद संख्या: 44 के संदर्भ में लिए गए निर्णय के संबंध में।
- आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-09 को उपरोक्त विधेयक की तीन प्रतियों सहित।

(हरबंस सिंह ब्रसकोन)
विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन
विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कठिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन
विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

- संक्षिप्त नाम।
- धारा 4-क का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान
संशोधन विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरः स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा संक्षिप्त नाम। कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2024 है।
5. हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान धारा 4-क का संशोधन।
अधिनियम, 1999 की धारा 4-क में,—
 - (i) उपधारा (1) में, "सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या ज़िला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध अधिकारिता का सहायक राज्य कर एवं कराधान आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
 10. (ii) उपधारा (3-क) में, "ज़िले के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सम्बद्ध अधिकारिता का सहायक राज्य कर एवं कराधान आयुक्त (माल और सेवा कर/सहबद्ध कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- 15.

अधिनियमित
सुखविन्द्र राठू
मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य कर एवं आबकारी विभाग का पुनर्गठन सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: ई० एक्स० एन०-बी (1)-१/२०२१, तारीख १९-०१-२०२४, समसंब्यक अधिसूचना तारीख २९-०१-२०२४ तथा २९-०८-२०२४ द्वारा दो खंडों में अर्थात् आबकारी खण्ड और माल और सेवा कर खण्ड में किया गया है।

अतः विभाग के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, अब नवगठित माल और सेवा कर/सम्बद्ध कर खंड में पुरानी चार स्तरीय संरचना (मुख्यालय-जोन-ज़िला-वृत्त) के स्थान पर तीन स्तरीय संरचना (मुख्यालय-माल और सेवा कर जोन-माल और सेवा कर वृत्त) है। इसके परिणामस्वरूप, माल और सेवा कर खंड/सम्बद्ध कर खंड संरचना में जिला प्रभारी का पद अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए विभाग के पुनर्गठन के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खु)

मुख्य मन्त्री।

अधिकारी

सुखविंदर सिंह
मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

धर्मशाला:

तारीख 2024.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन
विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(सुखविंदर सिंह सुक्ख)
मुख्य मंत्री।

आधिकारिक

सुखविंदर सुक्ख

मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

(शारद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

धर्मशाला:

तारीख:....., 2024.

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश (सङ्क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा:

4-क. विक्रय या प्रेषण कारित करने या प्राधिकृत करने हेतु सङ्क द्वारा माल का वहन करने वाले व्यक्ति द्वारा कर का संग्रहण—(1) धारा 4 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सङ्क द्वारा वहन के लिए, माल का विक्रय करने या क्रय करने या प्रेषण या प्राप्ति कारित करने या करवाने को प्राधिकृत करने वाला, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिले के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति विहित रीति में, यथास्थिति, यान्त्रिक यान या छकड़ा जिसमें या जिस पर माल वहन किया जाना है, के प्रभारी व्यक्ति से या परिवहन या वहन के दौरान माल के प्रभारी व्यक्ति से, धारा 3 के अधीन संदेय कर की रकम का संग्रहण करेगा और ऐसा संग्रहण करने वाला व्यक्ति, विहित रीति में, उसको सरकारी कोष में संदत्त करेगा ।

(2) ऐसा संग्रहण करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति, यान्त्रिक यान या छकड़ा जिसमें या जिस पर माल वहन किया गया है, के प्रभारी व्यक्ति या परिवहन या वहन के दौरान माल के प्रभारी व्यक्ति को प्रमाण—पत्र जारी करेगा और प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर, अधिनियम की धारा 4 के अधीन कोई कर संदेय नहीं होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, उपधाराओं (1) और (2) के किसी या सभी उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो कराधायक प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा, निदेश करेगा कि ऐसा व्यक्ति उप—धारा (1) के अधीन संदेय कर की रकम से दोगुना से अनधिक, शास्ति के तौर पर संदत्त करेगा ।

(3—क) उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को, प्रत्येक मास, जिसके दौरान उसके द्वारा संग्रहण किया गया था, की समाप्ति के पांच दिन के भीतर, ट्रेज़री चालान सहित विहित रीति में विवरणी देगा ।

(3—ख) यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति पर्याप्त हेतुक के बिना उपधारा (3—क) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे पाँच हजार रुपये से अनधिक की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा ।

(3-ग) यदि इस अधिनियम के अधीन कर संदर्भ करने के लिए दायी कोई व्यक्ति उस द्वारा देय कर की रकम संदर्भ करने में असफल रहता है, तो वह कर की रकम के अतिरिक्त, अन्तिम तारीख से ठीक पश्चात् वर्ती तारीख से, जिसको व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कर संदर्भ किया होता, द्वारा देय और संदेय कर की रकम पर, प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से, एक मास की अवधि के लिए और तत्पश्चात् डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, साधारण ब्याज सहित करने का दायी होगा।

(4) धारा 11 के उपबन्ध, संदेय कर की किसी रकम और या अधिरोपित किसी शास्ति किन्तु जो इस धारा के अधीन जमा नहीं की गई हो, की वसूली के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 37 OF 2024

**THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED
BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED
BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2024**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title .
2. Amendment of section 4-A.

**THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN
GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2024**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2024. Short title.

5 2. In section 4-A of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999, Amendment of section 4-A.

10 (i) in sub-section (1), for the words “Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer Incharge of the District”, the words, letters and signs “Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/ Allied Taxes) of the concerned jurisdiction” shall be substituted; and

15 (ii) in sub-section (3-a), for the words “Assistant Excise and Taxation Officer Incharge of the District”, the words, letters and signs “Assistant Commissioner of State Taxes and Excise (GST/Allied Taxes) of the concerned jurisdiction” shall be substituted.

Authenticated
JK
Chief Minister
Himachal Pradesh

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Restructuring of the State Taxes and Excise Department has been carried out by the Government vide notifications No. EXN-B(1)-1/2021 dated 19-01-2024, 29-01-2024 and 29-08-2024 into two wings viz. Excise Wing and GST Wing.

Consequent upon the restructuring of the Department, the newly formed GST/Allied Taxes wing has three tier structure (Headquarters-GST Zone-GST Circle) instead of old four tier structure (Headquarters-Zone-District-Circle). As a result of it, the post of District-in-Charge no longer exists in GST Wing/Allied Tax Wing structure, hence amendments in the Act are required in order to align with the restructuring of the Department.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.


(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister
Chief Minister
Himachal Pradesh
Authenticated

DHARAMSHALA:

THE....., 2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

**THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED
BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2024**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (On certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

Authenticated

Sukhu
Chief Minister
Himachal Pradesh

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

DHARAMSHALA:

THE....., 2024.

**EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH TAXATION
(ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) ACT, 1999 (16 OF 1999) LIKELY
TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.**

Section:

4-A. Collection of tax by a person selling or causing or authorizing to cause dispatch of goods for carriage by road.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section-4, a person selling or purchasing or causing or authorising to cause despatch or receipt of goods for carriage by road duly authorised by the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer Incharge of the district shall, in the prescribed manner, collect the amount of tax payable under section-3 from the person in charge of the mechanical vehicle or cart in or on which the goods are to be carried or the person-in-charge of the goods during transport or carriage, and the person making such collection shall, in the prescribed manner, make payment of same into the Government Treasury.

(2) The person making such collection shall issue a certificate, in the prescribed manner, to the person-in-charge of the mechanical vehicle or cart in or on which the goods are carried or the person-in-charge of the goods during transport or carriage the case may be, and, on the production of the certificate, no tax shall be payable under section 4 of the Act.

(3) If any person contravenes any or all of the provisions of sub-sections (1) and (2), the Taxing Authority shall, after giving an opportunity of being heard, by an order, in writing, direct that such person shall pay by way of penalty not exceeding twice the amount of tax payable under sub-section (1).

(3-a) Such person as specified in sub-section (1) shall in the prescribed manner furnish a return every month to the Assistant Excise and Taxation Officer-Incharge of the District within five days of the close of each month during which collection was made by him along with the treasury challan.

(3-b) If a person specified in sub-section (1) fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (3-a), the Commissioner or any person appointed to assist him under section 7 of the Act, may, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees.

(3-c) If any person liable to pay tax under this Act, fails to pay the amount of tax due from him, he shall, in addition to the amount of tax, be liable to pay simple interest on the amount of tax

due and payable by him at the rate of one percentum per month, from the date immediately following the last date on which the person should have paid the tax under this Act, for a period of one month, and thereafter, at the rate of one and a half percentum per month till the default continues.

(4) The provision of section 11 shall mutatis mutandis apply for recovery of any amount of tax payable and/or any penalty imposed but not deposited under this section.